अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION सचिवालय/SECRETARIAT

Port Blair, dated 15th February, 2021

PRESS NOTE

It is brought to notice of all concerned that the Draft Recruitment Rules for amendment of 03 posts of Professors (one post each Civil Engg.), Computer Science (Engg) and (Electronic & Communication Engg) and 03 posts of Associate Professor (one post each Civil Engg.), Computer Science (Engg) and (Electronic & Communication Engg) is uploaded by this Administration in the Administration's website www.andaman.gov.in inviting claims/objection (if any) from the stakeholders on this Draft Recruitment Rules. The claims/objections or comments may be submitted to the undersigned within 30 (thirty) days from the date of publication of this Press Note. No claims and objections will be entertained after 30 (thirty) days of this Press Note.

Assistant Secretary (Hr.Edn.) (F.No. 8-32/2020/D-IV)

Copy to:-

- 1. PS to Secretary (Edn.), A & N Administration for kind information of the Secretary (Edn.).
- 2. The Director (IP), A & N Administration for information and necessary action.
- 3. The Manager, Govt. Press, Port Blair with the request to publish the Press Note in the 'Daily Telegram' for two consecutive days on or before 19.02.2021 and two copies of the edition may be forwarded to undersigned for reference and records.
- 4. The Chief Editor, "Dweep Samachar" Govt. Press, Port Blair with the request to publish the Press Note in the Dweep Samachar for two consecutive days on or before 19.02.2021 and two copies of the edition may be forwarded to undersigned for reference and records (Copy enclosed).
- 5. The Executive Officer (SOVTECH), DBRAIT Campus, Pahargaon, Port Blair with the request to upload the above NOTE along with draft notification and schedule of the enclosed RRs in the website www.andaman.gov.in.
- 6. The Principal, JNRM, Port Blair for information.

Assistant Secretary (Hr.Edn.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURSE DEVELOPMENT (Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, theFebruary, 2021.

- 1. Short title and commencement:- (i) These rules may be called the Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology, Pahargaon under the Andaman & Nicobar Administration, Professor and Associate Professor Recruitment Rules-2019.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale:-

The number of post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:-

The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification: -** No person:-

- a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- b) Who, having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution:-

The incumbents holding the post of Principal/Director at Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology under Andaman and Nicobar Administration, Pahargaon, Port Blair on regular basis vide MHRD Office Order No. 4-10/2010-TS-II dated 20.12.2011 before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

6. Power to relax:-

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Joint Secretary (Admn.)

SCHEDULE- I

1.	Name of the Post.	Professor
2.	No. of Post	03 * 2020 (subject to variation depended on work load)
		Civil Engg -01
		Electronics ^ Communication Engg01
		Computer Science & Engg01
3.	Classification	General Central Services Group' A' Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Scale of Pay	Level -14
		Rs. 144200- Rs. 218200
5.	Whether selection or non-	Selection
	selection post	
6.	Age limit for direct	Not exceeding 50 years (relaxable for Govt. Servants upto 5
	recruits	years in accordance with instructions / order issued by the
		Central Govt).
		Note: The crucial date of determining the age limit shall be
		advertised by UPSC/SSC.
7.	Educational and other	AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 5.2(d)
	qualifications required for	Direct Recruitment
	the direct recruits.	a. Ph. D. degree in relevant field and First class or equivalent
		at either Bachelor's or Master's level
		in the relevant branch.
		AND
		b. Minimum of 10 years of experience in teaching / research /
		industry out of which at least 3 years
		shall be at a post equivalent to that of an Associate Professor.
		AND
		c. At least 6 research publications at the level of Associate
		Professor in SCI journals / UGC /
		AICTE approved list of journals and at least 2 successful Ph.D.
		guided as Supervisor / Co-supervisor till the date of eligibility
		of promotion.
		OR
		At least 10 research publications at the level of Associate
		Professor in SCI journals / UGC /
		AICTE approved list of journals till the date of eligibility of
		promotion.
		NOTE 1.
		NOTE 1: Existing incumbents recruited as a Faculty with the basic
		Existing incumbents recruited as a Faculty with the basic
		minimum qualifications such as
		M.Sc. (Mathematics), M.Sc. (Biotechnology), M.Sc. (Electronics),
		M.Sc. (Computer Science & allied subjects), M.Sc. (Physics),

M.Sc. (Chemistry), MCA, PGDM, AMIE / M. Com and any other similar qualifications which were considered eligible at the time of recruitment or taken admission in such courses before publication of the AICTE Gazette dated 13th March 2010 are to be considered as eligible for promotion as well as direct recruitment in the same or other institutions, subject to fulfillment of other eligibility criteria and higher qualifications as prescribed, if any, for various teaching posts. [AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 7.5.

NOTE 2:

- (i) The exact branch of engineering in which the educational qualification and experience are required, will be indicated at the time of recruitment.[May refer AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 7.4.]
- (ii) Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization. Alternatively, the person should have obtained at least two patents or contributed to the increased productivity in the place of work recognized at state or national level or elected as a Fellow of any of the national academies. However, the procedure of providing equivalence shall be devised by concerned affiliating university. [May refer AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 7.2]
 - (iii) Experience at diploma institutions is also considered equivalent to experience in degree level institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory.[May refer AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 2.26]
- (iv) If a Class or division is not awarded, minimum of 60 percent marks in aggregate shall be considered equivalent to first class or division. If a Grade point is adopted the Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below.

		Grade Equivalent
		Point
		6.25 55 percent
		6.75 60 percent
		7.25 65 percent
		7.75 70 percent
		8.25 75 percent
		[May refer AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 7.3]
8.	Whether age and	Not Applicable
	educational qualification	
	prescribed for direct	
	recruitment will apply in	
	the case of promotees?	
9.	Period of probation, if	01 year for Direct Recruits subject to fulfillment of conditions
	any	laid at AICTE Notification 1st March 2019 Clause 4.0 (ii)
10.	Method of recruitment,	Direct Recruitment
	whether by direct	Note:- " Vacancies caused by the incumbent being away on
	recruitment or by	deputation or long illness or study leave or under other
	promotion or by	circumstances for a duration of one year or more may be filled
	deputation/absorption &	on deputation basis from officers of Central Government."
	% (percentage)of the	(May refer Clause 3.11.4 of DoPT Notification dated
	posts to be filled by	31.12.2010.)
	various methods.	
11.	In case of recruitment by	Deputation basis:
	promotion/deputation/	i) Holding analogous posts on regular basis /
	absorption grades from	department and possessing the educational
	which	qualifications prescribed for direct recruits under
	promotion/deputation/	para 7.
	absorption to be made.	(May refer Clause 3.11.4 of DoPT Notification dated
		31.12.2010.)
12.	If a DPC exists, what is	Group 'A' DPC (for confirmation of Direct Recruits):
	its composition	1. Chief Secretary, A & N Admn Chairman
		2. Secretary (Edn), A & N Admn Member
		3. 01 nominee ,nominated by Chairperson, BoG -
		Member
		4. Principal, DBRAIT - Member
13.	Circumstances in which	Consultation with UPSC is necessary in each occasion.
	UPSC is to be consulted	
	in making recruitment.	

SCHEDULE-II

1.	Name of the Post.	Associate Professor
2.	No. of Post	03* 2020 (subject to variation depended on work load) Civil Engg -01 Electronics ^ Communication Engg01 Computer Science &Engg01
3.	Classification	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Scale of Pay	Level 13A1 Rs. 131400- Rs. 217100
5.	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 50 years (relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with instructions / order issued by the Central Govt).
7.	Educational and other qualifications required for the	AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 5.2(c)
	direct recruits.	Direct Recruitment a. Ph.D. degree in the relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch. AND b. At least total 6 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals. AND c. Minimum of 8 years of experience in teaching / research / industry out of which at least 2 years shall be Post Ph.D. experience.
		NOTE: 1 Existing incumbents recruited as a Faculty with the basic minimum qualifications such as M.Sc.(Mathematics),M.Sc.(Biotechnology),M.Sc. (Electronics), M.Sc. (Computer Science & allied subjects), M.Sc. (Physics), M.Sc. (Chemistry), MCA, PGDM, AMIE / M. Com and any other similar qualifications which were considered eligible at the time of recruitment or taken admission in such courses before publication of the AICTE Gazette dated 13th March 2010 are to be considered as eligible for promotion as well as direct recruitment in the same or other institutions, subject to fulfilment of other eligibility criteria and higher qualifications as prescribed, if any, for various teaching posts . [AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 7.5]
		NOTE 2: (i) The exact branch of engineering in which the educational qualification and experience are required, will be indicated at the time of recruitment. [May refer AICTE Notification dated 01.03.2019, Clause 7.4] (ii) Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of

		have obtained a the increased p recognized at st Fellow of any of the procedure devised by conc	Alternatively, the person should t least two patents or contributed to productivity in the place of work ate or national level or elected as a f the national academies. However, of providing equivalence shall be erned affiliating university. CTE Notification dated 01.03.2019,
		considered ed level instituti applicable. H	at diploma institutions is also quivalent to experience in degree ons at appropriate level and as lowever, qualifications as above
			andatory. [May refer AICTE
		(iv) If a Clas minimum of 60 p considered equiv Grade point is a	s or division is not awarded, percent marks in aggregate shall be valent to first class or division. If a adopted the Grade Point Average into equivalent marks as below.
		Grade Point	Equivalent
		6.25	55 percent
		6.75	60 percent
		7.25	65 percent
		7.75	70 percent
		8.25	75 percent
		[May refer AICTE Clause 7.3]	Notification dated 01.03.2019,
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees?	Not Applicable	
9.	Period of probation, if any	conditions laid at Clause 4.0 (ii)	Recruits subject to fulfillment of AICTE Notification 1st March 2019
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion	Direct Recruitment	
	or by deputation/absorption & % (percentage)of the posts to be filled by various methods.		s caused by the incumbent being
			on or long illness or study leave or
	by various inclinus.		mstances for a duration of one year
		_	filled on deputation basis from
		officers of Central	Government."
		(May refer Clause	3.11.4 of DoPT Notification dated
		31.12.2010)	

11.	In case of recruitment by	Deputation basis:
	promotion/deputation/absorption grades from which	ii) Holding analogous posts on regular basis /
	promotion/deputation/absorption	department and possessing the educational
	to be made.	qualifications prescribed for direct recruits
		under para 7
		(May refer Clause 3.11.4 of DoPT Notification dated
		31.12.2010.)
12.	If a DPC exists, what is its composition	Group 'A' Departmental Confirmation (for confirmation): 1. Chief Secretary, A & N Admn Chairman
		2. Secretary (Edn), A & N Admn Member
		3. 01 nominee ,nominated by Chairperson, BoG -
		Member
		4. Principal, DBRAIT - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to	Consultation with UPSC is necessary on each
	be consulted in making recruitment.	occasion.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- * Providing leadership in teaching of Diploma, Degree and post graduate students.
- ❖ Offering a comprehensive course outline by adhering to the specifics of the course.
- Guiding students though the course materials.
- **Starting and finishing classroom proceeding on time.**
- ❖ Maintaining scholarly standards when teaching.
- ❖ Helping the students in finding an appropriate reference material in such a way that they can earn very good grades.
- Providing leadership in teaching of students.
- ❖ Organizing R & D work in industrial problems and projects.
- **.** Departmental Administration.
- ❖ Assisting in the Administration of the Institution.
- Publication of technical papers.
- Curriculum development and development of resource materials.
- Innovations in technician education and evaluation.
- Continuing education activities.
- Public relations and interaction with the community.
- Student counseling and student interaction.
- Perform any other assignment/duties assigned by superior.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन Andaman & Nicobar Administration सचिवालय / Secretariat

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 15 फ़रवरी, 2021

प्रेस नोट

सभी संबंधितों के संज्ञान में यह लाया जाता है कि प्रोफेसर के 03 पद (सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान (इंजीनियरिंग) एंव इलेक्ट्रोनिक व कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रत्येक के लिए एक पद) तथा एसोशिएट प्रोफेसर के 03 पद (सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्युटर विज्ञान (इंजीनियरिंग) तथा इलेक्ट्रोनिक—व—कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रत्येक के लिए एक पद) के संशोधित भर्ती नियमावली के प्रारुप को हितधारकों से प्रारुप भर्ती नियमावली पर दावा/आपित्त (यदि कोई हो) आमंत्रित करने के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट www.andaman.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इससे संबंधित दावों/आपित्तयों या टिप्पाणियों को इस प्रेस नोट के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। इस प्रेस नोट के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के पश्चात किसी भी प्रकार के दावे/आपित्तायों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सहायक सचिव (उच्च शिक्षा) फा.स.8—32 / 2020 / डी.IV

प्रतिलिपिः

- 1. सचिव (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के निजी सचिव को सचिव (शिक्षा) के सादर सूचना के লিए।
- 2. निदेशक (सूचना प्रचार), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को सूचना एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 3. प्रबंधक, सरकारी मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर को इस अनुरोध के साथ कि इस प्रेस नोट को "द डेली टेलीग्प्रम" में दिनांकको या उससे पहले लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करें और उस संस्करण की दो प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को संदर्भ और अभिलेख के लिए अग्रेषित करें।
- 4. मुख्य संपादक, "द्वीप समाचार" सरकारी मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर को इस अनुरोध के साथ कि इस प्रेस नोट को ''द्वीप समाचार" में दिनांक.........को या उससे पहले लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करें और उस संस्करण की दो प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को संदर्भ और अभिलेख के लिए अग्रेषित करें।
- 5. कार्यपालक अधिकारी (सोवटेक), डीब्राइट कैम्पस, पहाडगाँव, पोर्ट ब्लेयर को इस अनूरोध के साथ कि प्रारूप अधिसूचना एंव संलग्न भर्ति नियमावली की अनुसूची सहित उपरोक्त प्रेस नोट को वेबसाइट www.andaman.gov.in पर अपलोड करें।
- 6. प्राचर्य, डीब्राइट, पोर्ट ब्लेयर को सूचनार्थ।

सहायक सचिव (उच्च शिक्षा)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (उच्च शिक्षा विभाग)

(Department of Higher Education)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक

2021

जी.एस.आर....... फा.सं.8—32 / 2020 / डी.IV, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक के पत्र संख्या........ द्वारा प्राप्त अनुमोदन एवं दिनांक 19 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 511(ई.) का अधिक्रमण करते हुए भारत के राष्ट्रपति एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन डॉ बी. आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पहाड़गाँव की स्थापना के प्रोफेसर तथा एसोशिएट प्रोफेसर के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

- (i) इन नियमों को "अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन डॉ बी. आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पहाड़गाँव के प्रोफेसर एवं एसोशिएट प्रोफेसर की भर्ती नियमावली—2019'' कहा जाएगा।
- (ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :--

पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वहीं होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ आदि :--

उपरोक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ और अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अयोग्यताएँ :--

कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने :

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति / पत्नी जीवित हो,

या

- (ख) पित / पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, परन्तु केन्द्र सरकार को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति पर और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।
- **5. आरंभिक गठनः** इस नियमावली के प्रवृत्तन से पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 20 / 12 / 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4—10—2010—टी.एस.—II के तहत् अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन डॉ. बी.आर.अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पहाडगाँव में नियमित आधार पर प्रोफेसर

एवं एसोशिएट प्रोफेसर के पद को धारण करने वाले पदधारियों को इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त समझा जाएगा।

6. ढील देने की शक्ति :--

जहाँ केन्द्र सरकार को ऐसा लगे कि किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

7. व्यावृत्ति :--

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा संबंधी छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व—सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध कराना अपेक्षित है ।

संयुक्त सचिव(प्रशासन)

<u>अनुसूची—I</u>

1	पदनाम	प्रोफेसर
2	पद संख्या	03 * 2020 (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
		सिविल इंजीनियरिंग — 01
		इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग — 01
		कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग – 01
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4	वेतन बैंड और ग्रेड	लेवल 14
	वेतन / वेतनमान	`.144200 से `.218200
5	चयनपद या गैर चयनपद	चयनपद
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (केन्द्र सरकार द्वारा जारी
		अनुदेशों–आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच
		वर्ष तक की छूट)
		नोटः आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि को संघ
		लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा
		विज्ञापित किया जाएगा।
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित	ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 की अधिसूचना, खंड 5.2
	शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	(ভী)
		सीधी भर्ती
		(क) संबंधित विषय / फील्ड में पी.एच.डी. (विद्या वाचस्पति) की
		उपाधि तथा संबंधित विषय / शाखा के स्नाातक या निष्णात
		स्तर पर किसी एक में प्रथम श्रेणी या समकक्ष
		एव
		(ख) अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग में न्यूनतम दस वर्ष का
		अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष एसोसिएट
		प्रोफेसर के पद के समकक्ष पद पर होना चाहिए।
		एव
		(ग) पदोन्नित की पात्रता एवं तिथि तक एसोसिएट प्रोफेसर के
		स्तर में एस.सी.आई. जर्नलों में / यू.जी.सी. / ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित जर्नलों की सूची में कम से कम 6 शोध—पत्र
		प्रकाशित किया हो तथा कम से कम दो सफल पी.एच.डी.
		का पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक के रूप में मार्गदर्शन किया
		हो।
		या
		पदोन्नति की पात्रता तिथि तक एसोशिएट प्रोफेसर के स्तर
		में एस.सी.आई जर्नलों / यू.जी.सी / ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित
		जर्नलों की सूची में कम से कम 10 शोध—पत्र प्रकाशित
		किया हो।
		नोट 1:
		THO IT

विद्यमान पदधारियों जिन्हें बुनियादी न्यूनतम अर्हता जैसे विज्ञान निष्णात (गणित), विज्ञान निष्णात (बायोटेकनोलॉजी), विज्ञान निष्णात (इलोक्ट्रोनिक्स), विज्ञान निष्णात(कम्प्यूटर विज्ञान एवं संबद्ध विषय), विज्ञान निष्णात (भौतिकी), विज्ञान निष्णात (रसायन विज्ञान) एम.सी.ए, पी.जी.डी.एम, ए.एम.आई.ई. / वाणिज्य निष्णात या कोई अन्य समान अर्हता, जिसे भर्ती के समय पात्र माना गया था के आधार पर शिक्षण—स्टाफ के रूप में भर्ती किया गया है, या जिन्होंने ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 13 मार्च, 2010 के राजपत्र के प्रकाशन से पूर्व ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, को उस या अन्य संस्थान में पदोन्नित के साथ—साथ सीधी भर्ती के लिए भी पात्र माना जाएगा बशर्ते वे ऐसे विभिन्न शिक्षण पदों के लिए विनिर्दिष्ट पात्रता की अन्य मानदंड या उच्च अर्हता यदि कोई हो, को पूरा करता हो। [ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 की अधिसूचना, खण्ड 7.5]

नोट 2:

- (i) इंजीनियरिंग की सही शाखा / विषय, जिसमें शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव की आवश्यकता है, को भर्ती के समय सूचित किया जाएगा। [कृपया ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01–03–2019 की अधिसूचना, खण्ड 7.4 का संदर्भ लें)]
- (ii) पी.एच.डी. के समकक्षता के लिए 5 अंतराष्ट्रीय जर्नल पेपर प्रकाशित करना होगा और प्रत्येक जर्नल का कुमुलेटिव इम्पेक्ट इनडेस्क 2.0 से कम नहीं होना चाहिए और पदधारी इसका मुख्य लेखक होना चाहिए तथा सभी पाँचों प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र से होना चाहिए। इसके विकल्पतः वह व्यक्ति कम से कम दो पैटेंट हासिल किया हो या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अपने कार्यस्थल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए योगदान दिया हो या किसी राष्ट्रीय अकादिमयों के अद्येता (फेलो) के रूप में चुना गया हो। हालांकि समकक्षता प्रदान करने की प्रक्रिया को संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया जाएगा। [कृपया ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 के अधिसूचना, खण्ड 7.2 का संदर्भ लें)
- (iii) उपयुक्त स्तर एवं अनुप्रयोज्य के अनुसार डिप्लोमा संस्थानों के अनुभव को भी डिग्री स्तर के संस्थानों के अनुभव के समकक्ष माना जाएगा। हालांकि उपरोक्त अर्हता अनिवार्य है। [कृपया ए.आई.सी.टी.ई के दिनांक 01.03.2019 के अधिसूचना, खण्ड 2.26 का संदर्भ लें]
- (iv)यदि श्रेणी / क्लास या डिविज़न नहीं प्रदान किया गया है तो संपूर्णांक के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी या

		डिविज़न के समकक्ष माना जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट को
		अपनाया गया है तो अधोलिखित के अनुसार ग्रेड प्वाइंट
		औसत को समकक्ष अंको में परिवर्तित किया जाएगा।
		ग्रेड प्वाइंट समकक्ष
		6.25 55 प्रतिशत
		6.75 60 प्रतिशत
		7.25 65 प्रतिशत
		7.75 70 प्रतिशत
		8.25 75 प्रतिशत
		[कृपया ए. आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 के अधिसूचना,
		खंड 7.3 का संदर्भ लें]
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित	लागू नहीं
	आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति	
	के मामले में लागू होगा ?	
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 01 वर्ष, बशर्ते ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक
		01.03.2019 की अधिसूचना, खंड 4.0 (ii) के शर्तों को पूरा
		करता हो ।
10	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा	
	या पदोन्नति द्वारा या	सीधी भर्ती
	प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा	नोटः पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी के
	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने	कारण या अध्ययन छुट्टी पर जाने या किसी अन्य
	रिक्तियों का प्रतिशत।	परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक की
		अवधि के लिए रिक्त रहने वाले रिक्तियों को केन्द्र
		सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा
		जाए।
		(कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 की
		अधिसूचना के खंड 3.11.4 का संदर्भ लें)
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन	प्रतिनियुक्ति के आधार परः
	द्वारा भर्ती करने के मामले में, वे ग्रेड	(i) नियमित आधार पर / विभाग में अनुरूप पद णारण करता हो
	जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /	तथा पैरा 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
	आमेलन किया जाना है ।	धारण करता हो।
		(कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 की
		अधिसूचना के खंड 3.11.4 का संदर्भ लें)
11	द्वारा भर्ती करने के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर व जाए। (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 की अधिसूचना के खंड 3.11.4 का संदर्भ लें) प्रतिनियुक्ति के आधार परः (i) नियमित आधार पर / विभाग में अनुरूप पद णारण करता तथा पैरा 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अह धारण करता हो। (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010

12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती के पदधारियों के
	विद्यमान है तो उसका गढन क्या	स्थायीकरण के लिए)
	है ?	1. मुख्य सचिव, अं. तथा नि. प्रशासन — अध्ययक्ष
		2. सचिव (शिक्षा), अं. तथा नि. प्रशासन — सदस्य
		3. बी. ओ. जी. के अध्ययक्ष द्वारा मनोनित
		एक नामित व्यक्ति – सदस्य
		4. प्राचार्य, डीब्राइट — सदस्य
13	परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
	आयोग से परामर्श किया जाना है ।	आवश्यक है।

<u>अनुसूची—II</u>

1	पदनाम	एसोशिएट प्रोफेसर
2	पद संख्या	03 * 2020 (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
		सिविल इंजीनियरिंग — 01
		इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग — 01
		कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग — 01
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4	वेतन बैंड और ग्रेड	लेवल १३ए१
	वेतन / वेतनमान	`.131400 से `.217100
5	चयनपद या गैर	लागू नहीं
	चयनपद	
6	सीधी भर्ती के लिए	50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (केन्द्र सरकार द्वारा जारी
	आयु सीमा	अनुदेशों–आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की
		छूट)
7	सीधी भर्ती के लिए	ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 की अधिसूचना, खंड 5.2 (सी)
	अपेक्षित शैक्षिक एवं	सीधी भर्तीः
	अन्य योग्यताएँ	(क) संबंधित विषय / फील्ड में पी.एच.डी. (विद्या वाचस्पति) की उपाधि तथा
		संबंधित विषय / शाखा के स्नाातक या निष्णात स्तर पर किसी एक में
		प्रथम श्रेणी या समकक्ष
		एवं
		(ख)एस.सी.आई. जर्नलों में / यू.जी.सी. / ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित जर्नलों की
		सूची में कम से कम कुल 6 शोध—पत्र प्रकाशित किया हो।
		एवं
		(ग) अध्यापन / अनुसंधान / उद्योग में न्यूनतम ८ वर्ष का अनुभव, जिसमें से
		कम से कम 2 वर्ष का अनुभव पी.एच.डी. के बाद का होना चाहिए। नोट 1:
		विद्यमान पदधारियों जिन्हें बुनियादी न्यूनतम अर्हता जैसे विज्ञान निष्णात
		(गणित), विज्ञान निष्णात (बायोटेकनोलॉजी), विज्ञान निष्णात (इलोक्ट्रोनिक्स),
		विज्ञान निष्णात(कम्प्यूटर विज्ञान एवं संबद्ध विषय), विज्ञान निष्णात (भौतिकी),
		विज्ञान निष्णात (रसायन विज्ञान) एम.सी.ए, पी.जी.डी.एम, ए.एम.आई.ई.
		/वाणिज्य निष्णात या कोई अन्य समान अर्हता, जिसे भर्ती के समय पात्र
		माना गया था के आधार पर शिक्षण—स्टाफ के रूप में भर्ती किया गया है, या
		जिन्होंने ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 13 मार्च, 2010 के राजपत्र के प्रकाशन से
		पूर्व ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, को उस या अन्य संस्थान में पदोन्नति
		के साथ–साथ सीधी भर्ती के लिए भी पात्र माना जाएगा बशर्ते वे ऐसे विभिन्न
		शिक्षण पदों के लिए विनिर्दिष्ट पात्रता की अन्य मानदंड या उच्च अर्हता यदि
		कोई हो, को पूरा करता हो। [ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 की
		अधिसूचना, खण्ड 7.5]

नोट 2:

- (i) इंजीनियरिंग की सही शाखा / विषय, जिसमें शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव की आवश्यकता है, को भर्ती के समय सूचित किया जाएगा। [कृपया ए. आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01–03–2019 की अधिसूचना, खण्ड 7.4 का संदर्भ लें]
- (ii) पी.एच.डी. के समकक्षता के लिए 5 अंतराष्ट्रीय जर्नल पेपर प्रकाशित करना होगा और प्रत्येक जर्नल का कुमुलेटिव इम्पैक्ट इनडेस्क 2.0 से कम नहीं होना चाहिए और पदधारी इसका मुख्य लेखक होना चाहिए तथा सभी पाँचों प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र से होना चाहिए। इसके विकल्पतः वह व्यक्ति कम से कम दो पैटेंट हासिल किया हो या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अपने कार्यस्थल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए योगदान दिया हो या किसी राष्ट्रीय अकादमियों के अद्येता (फेलो) के रूप में चुना गया हो। हालांकि समकक्षता प्रदान करने की प्रक्रिया को संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया जाएगा। [कृपया ए. आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 के अधिसूचना, खण्ड 7.2 का संदर्भ लें)
- (iii) उपयुक्त स्तर एवं अनुप्रयोज्य के अनुसार डिप्लोमा संस्थानों के अनुभव को भी डिग्री स्तर के संस्थानों के अनुभव के समकक्ष माना जाएगा। हालांकि उपरोक्त अर्हता अनिवार्य है। [कृपया ए.आई.सी.टी.ई के दिनांक 01.03.2019 के अधिसूचना, खण्ड 2.26 का संदर्भ लें]
- (iv)यदि श्रेणी / क्लास या डिविज़न नहीं प्रदान किया गया है तो संपूर्णांक के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी या डिविज़न के समकक्ष माना जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट को अपनाया गया है तो अधोलिखित के अनुसार ग्रेड प्वाइंट औसत को समकक्ष अंको में परिवर्तित किया जाएगा।

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष
6.25	55 प्रतिशत
6.75	60 प्रतिशत
7.25	65 प्रतिशत
7.75	70 प्रतिशत
8.25	७५ प्रतिशत

[कृपया ए. आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 के अधिसूचना, खंड 7.3 का संदर्भ लें]

8 क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नित के मामले में लागू होगा ?

लागू नहीं

9	परिवीक्षा की अवधि, यदि	सीधी भर्ती के लिए 01 वर्ष, बशर्ते ए.आई.सी.टी.ई. के दिनांक 01.03.2019 की
	कोई हो	अधिसूचना, खंड 4.0 (ii) के शर्तों को पूरा करता हो।
10	भर्ती की पद्धति, क्या	सीधी भर्ती
	सीधी भर्ती द्वारा या	नोटः पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन
	पदोन्नति द्वारा या	छुट्टी पर जाने या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे
	प्रतिनियुक्ति / आमेलन	अधिक की अवधि के लिए रिक्त रहने वाले रिक्तियों को केन्द्र सरकार के
	द्वारा तथा विभिन्न	अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाए। (कार्मिक एंव प्रशिक्षण
	पद्धतियों द्वारा भरे जाने	विभाग के दिनांक 31.12.2010 की अधिसूचना के खंड 3.11.4 का संदर्भ लें)
	रिक्तियों का प्रतिशत।	
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /	प्रतिनियुक्ति के आधार परः
	आमेलन द्वारा भर्ती करने	(i) नियमित आधार पर / विभाग में अनुरूप पद णारण करता हो तथा पैरा 7
	के मामले में, वे ग्रेड	में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता धारण करता हो। (कार्मिक
	जिनसे पदोन्नति /	एंव प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 की अधिसूचना के खंड 3.11.4
	प्रतिनियुक्ति / आमेलन	का संदर्भ लें)
	किया जाना है।	
12	यदि विभागीय पदोन्नति	
	समिति विद्यमान है तो	के लिए)
	उसका गठन क्या है ?	1. मुख्य सचिव, अं. तथा नि. प्रशासन — अध्ययक्ष
		2. सचिव (शिक्षा), अं. तथा नि. प्रशासन — सदस्य
		3. बी. ओ. जी. के अध्ययक्ष द्वारा मनोनित
		एक नामित व्यक्ति – सदस्य
		4. प्राचार्य, डीब्राइट — सदस्य
13	परिस्थितियाँ जिसमें संघ	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
	लोक सेवा आयोग से	
	परामर्श किया जाना है ।	

कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

- 💠 डिप्लोमा, रनातक तथा रनातकोत्तर विद्याार्थियों के शिक्षण में नेतृत्व प्रदान करना।
- ❖ पाठ्यक्रम के विनिर्धारणों का अनुपालन करते हुए पाठ्यक्रम की वृहत् रूपरेखा प्रस्तुत करना।
- 💠 पाठ्यक्रम सामग्रियों के माध्यम से विद्याार्थियों का मार्गदर्शन करना।
- 💠 कक्षाओं की कार्यवाहियों को समय पर आरम्भ और समाप्त करना।
- पढ़ाते समय विद्वतापूर्ण स्तर को बनाए रखना।
- ❖ उचित संदर्भ सामग्रियों का पता लगाने के लिए विद्याार्थियों को इस तरह से मदद करना तािक वे बेहतर ग्रेड हािसल कर सके।
- विद्यार्थियों को शिक्षण में नेतृत्व प्रदान करना।
- 💠 औद्योगिक समसयाओं तथा प्राजेक्ट के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यों का आयोजन करना।
- विभागीय प्रशासन।
- संस्थान के प्रशासन में सहायता प्रदान करना।
- तकनीकी पत्रों का प्रकाशन।
- 💠 पाठ्यक्रम–सम्बन्धी विकास एवं संसाधन सामग्रियों का विकास करना।
- 💠 तकनीकी शिक्षा तथा मूल्यांकन में नवीनता लाना।
- शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखना।
- ❖ जनसंपर्क तथा समुदाय के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना।
- ❖ विद्यार्थियों को परामर्श देना तथा विद्यार्थियों के साथ विचारों का आदा—प्रदान करना।
- ❖ उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को करना।